संक्षिप्त

कलक्टर की रात्रि चौपाल 8 को

दौसा। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की ओर से आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिए 8 सितम्बर को पंचायत समिति बसवा की ग्राम पंचायत जावली का बाढ़ में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट एवं सहायक निदेशक लोक सेवाएं मनमोहन मीणा ने बताया कि 8 सितम्बर को पंचायत समिति बसवा की ग्राम पंचायत जावली का बाढ़ में, 9 सितम्बर को पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत ढोलावास में तथा 10 सितम्बर को पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत नाहर खोहरा में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर

निवाई। उपखंड अधिकारी कार्यालय में दीपावली के त्यौहार को लेकर विस्फोटक आतिशबाजी विक्रय करने के अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करवाने के लिए 19 सितंबर तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उपखंड अधिकारी रामकरण सिंह ने बताया कि दीपावली त्यौहार को लेकर क्षेत्र में विस्फोटक आतिशबाजी विक्रय करने के अस्थाई अनुज्ञा पत्र 9 से 23 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे। जिसको लेकर विस्फोटक अधिनियम 2008 के अंतर्गत 19 सितंबर तक उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदक अपना आवेदन पत्र जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल के ब्लू प्रिंट की चार प्रत्तिया, व्यावसायिक स्थल की स्थिति एवं आवेदनकर्ता की दो नवीनतम पासपोर्ट फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

कार्यकारणी का किया विस्तार

निवाई। प्रियंका गांधी संगठन ऑल इंडिया राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष रामप्रसाद परिड़वाल ने प्रदेश कमेठी के आ ान पर कार्यकारणी का विस्तार किया है। प्रदेशाध्यक्ष परिड़वाल ने बताया कि कार्यकारणी में प्रदेश महासचिव के पद पर बबलु कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर दिनेशकुमार शर्मा व जिला महासचिव के पद पर दिनेश सोनी को नियुक्त किया है। जिनको नियुक्ति पत्र देकर संगठन में सक्रिय भुमिका निभाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए मल्लिकार्जुन खडग़े, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलजीत सिंह, सतपाल सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा, विधायक सचिन पायलट, टीकाराम जूली व पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा का आभार व्यक्त किया है।

वर्षा से मुख्य मार्गों पर पानी भराव

राजगढ़ । कस्बे में शुक्रवार सायं भाई मूसलाधार वर्षा से प्रमुख मार्गों पर जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित रहा। अचानक के काली घटाओं के साथ तेज वर्षा का दौरा 5:00 बजे बाद तक जारी रहा।निचले इलाकों में पानी भराव से आमजन जीवन प्रभावित रहा। रात्रि को आकाश में बादल छाए रहने से वर्षा होने की संभावना है।

ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

टोंक। सर्व ब्राह्मण महासभा शाखा टोंक की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, महासभा के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने बताया की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा रहे, वही समारोह की अध्यक्षता पंडित राजकुमार शर्मा द्वारा की तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रदेश सचिव बद्रीनारायण शर्मा रहे।
इस मौके पर सभी प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह, माला दुपट्टा एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह सम्पन्न, शिक्षको को किया सम्मानित

दौसा। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह शुक्रवार को पूनम मैरीज लॉन में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। जिला स्तर पर सम्मान समारोह में संतोष कुमार शर्मा राउमावि श्यामसिंहपुरा, चंद्र प्रकाश मीणा प्रधानाचार्य राउमावि जयसिंहपुरा सम्मानित का सम्मानित किया गया।

- समारोह में पूर्व में राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित शिक्षकों, सेवानिवृत शिक्षकों, सेवानिवृत्ति जिला शिक्षा अधिकारी सहित को साफ़ा, प्रतीक चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया
- जिला स्तर पर चयनित शिक्षकों को 11 हजार रुपए का चेक प्रदान किया

जिला स्तर पर सम्मान समारोह में शिक्षक उपस्थित हुए।

समारोह में पूर्व में राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित शिक्षकों, सेवानिवृत शिक्षकों, सेवानिवृत्ति जिला शिक्षा अधिकारी सहित को साफ़ा, प्रतीक चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर चयनित शिक्षकों को 11 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगमोहन मीणा ने उपस्थित सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए समाज के कमजोर निम्न एवं सभी वर्गों को साथ लेते हुए शिक्षा के लिए प्रेरित किया और शिक्षकों को शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रेरित किया।

अध्यक्षता करते हुये लक्ष्मी रेला ने शिक्षकों को समाज की धूरी बताते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इंदिरा गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का अभिवादन किया और अंत में सहायक परियोजना समन्वयक रंगलाल मीणा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में एपीसी कपूर चंद, कार्यक्रम अधिकारी अनिल पनिहार, मोहनलाल, अजीत बेनीवाल राजेंद्र शर्मा, आशुतोष आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन माधुरी गुप्ता, चंद्रकांता शर्मा एवं नवनीत शर्मा ने किया।

पंचायत समिति मुख्यालय शाहपुरा में प्री कॉउसलिग शिविर आयोजित की

शाहपुरा । शाहपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर अध्यक्ष अजित कुमार हींगर एवं तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष ललिता शर्मा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश प्रथम, कृष्ण कांत अपर जिला एवं सत्र सैशन न्यायाधीश द्वितीय, एसीजेएम प्रतिभा मोट्यियार, जेएम नताशा चौधरी के मार्ग निर्देशन में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत समिति मुख्यालय शाहपुरा में शाहपुरा न्यायालय में प्रि-लिटिगेशन के लम्बित विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्री कॉउसलिंग का शिविर आयोजित किया गया। जिसमें पैनल एडवोकेट सीताराम नोसादर, पैरा लीगल वॉलिन्टियर दिनेश कुमार शर्मा ने पंचायत समिति मुख्यालय पर उपस्थित ऋण धारकों के मध्य बैंकों के चैक अनादरण के प्रकरण संख्या 1358/23, मूलचंद बनाम धनश्याम 138 .से संम्बंधित एवं, प्रकरण संख्या 1334/23 बालाजी सिमेन्ट कम्पनी बनाम अमर सिंह यादव के प्रकरणों में राजीनामा समझौता वार्ता के द्धारा समझाईश की गई। पैनल एडवोकेट सीताराम नोसादर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा में किसी भी पक्षकारों न तो हार होती है न ही जीत होती है। दोनों पक्षकारों के व्यवहार में मधुरता बरकरार रहती है। इस अवसर पर जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रतिनिधि राजेन्द्र यादव, धर्मवीर यादव ने विद्युत बिलों के बकाया बिलों के प्रकरणों को उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं के मध्य आपसी राजीनामा समझाईश की गई। जिसे तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामा में भुगतान किए जाने की सहमति हुई। पैरा लीगल वॉलिन्टियर दिनेश कुमार शर्मा ने शिविर में उपस्थित किसान क्रेडिट कार्ड के ऋणधारक़ो को बताया कि आप प्रति माह निश्चित धनराशि को बैंकों में जमा कराने की प्रवृत्ति होने से ही बैंक के खाते को डिफाल्टर होने से बचाया जा सकता है।

पैरा लीगल वॉलिन्टियर दिनेश कुमार शर्मा ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, का लाभ एवं बैंक ऋण धारकों को सब्सिडी का प्रावधान भी है। अत: आप अपने पूर्व के बैंक खातों का भुगतान तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के द्धारा आपसी राजीनामा समझौता वार्ता से ऋणों का निस्तारण करा कर पुन: ऋण ले सकते है। इस प्रि कॉउसलिंग के अवसर पर अतिरिक्त विकास अधिकारी मुकेश कुमार शर्मा, शाहपुरा पंचायत समिति के प्रचार-प्रसार अधिकारी दीपक बेनीवाल भी उपस्थित रहे।

कॉलोनियों में पहुंचा बाँध का पानी, प्रशासन अलर्ट

भरतपुर। भरतपुर जिले के सबसे बड़े अजान बांध से लगातार पानी आने की वजह से भरतपुर शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है जिसको लेकर शहर के लोग चिंतित होने लगे है। अजान बाँध से पानी शहर की तरफ आ रहा है और कई कॉलोनियों में बांध के पानी की आवक जारी है। शहर की तिलक नगर जसवंत नगर गिरीश बिहार इंदिरा नगर सहित कई कॉलोनियों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने इंजीनियरों एवं अधिकारियों की टीम के साथ मौका मुआयना किया हैं।

बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री एवं भरतपुर से विधायक डॉ सुभाष गर्ग ने सोशल मीडिया के जरिये शहर में बाढ़ आने के खतरे से आगाह करते हुए चिंता व्यक्त की है और जिला प्रशासन को तुरंत बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने के लिए आग्रह किया है। गौरतलब है की करौली के पांचना बाँध से पानी छोड़े जाने के बाद गंभीर नदी के जरिये लगातार अजान बाँध में पानी की आवक हो रही है।

अस्पताल के निर्माण में देरी को लेकर मंत्री व विधायक में तीखी नोक-क्षोंक

मनोहरपूर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से क्षेत्र के उपजिला एंव ट्रोमा अस्पताल के भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर मुद्दा उठाया। विधायक ने सदन में स्पष्ट किया कि अस्पताल का निर्माण जहां भी करना हो आमजन व स्थानीय विधायक की राय ली जाये तथा आमजन की सुविधा के अनुकूल किया जाये।

विधायक ने कहां कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के उप जिला एवं ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा की आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए निविदा जारी हो चुकी थी? यदि हां, तो उक्त निविदा को निरस्त क्यों किया गया? क्या सरकार अब पुन: निविदा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? जिसकें चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह ने जवाब दिया कि विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के उपजिला एवं ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा की आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए ई-निविदा संख्या 07/2025-26 दिनांक 28.05.2025 को जारी हो चूकी थी।

- अस्पताल का निर्माण आमजन की राय से ऐसे स्थान पर हो जिससे आमजन को सुविधा मिले

लेकिन आवंटित भूमि का क्षेत्रफल कम होने व दूरी अधिक होने के कारण उक्त भूमि पर भवन निर्माण आमजन हेतु अधिक उपयोगी नही होने के कारण अन्य जगह पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि पर निर्माण करवाए जाने की मांग के कारण निविदा निरस्त की गई।

उपजिला एवं ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि आवंटन पश्चात पुन: निविदा जारी कर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। नवीन भूमि के आवंटन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

जिस पर विधायक ने सवाल किया कि क्या यह सही है कि ट्रोमा अस्पताल के निर्माण कार्य को प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जिसका मंत्री ने जवाब दिया कि, जी हां, ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि आंवटन नही होने के कारण भवन निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है। उपयुक्त भूमि आंवटन पश्चात पुन: निविदा जारी कर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

जिस पर विधायक यादव व चिकित्सा मंत्री में तीखी नोक-क्षोक हो गई है। विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब उपजिला एवं ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा जो कि एक ही यूनिट है जिसके लिए 307 लाख की स्वीकृति होने के लगभग 2 साल बाद तक सरकार इसका निर्माण नही करवा रही है तथा बार-बार इसका स्थान बदल रही है। जिसकें पिछें क्या कारण है तथा सदन में इससें पूर्व मंत्री ने प्रश्न संख्या 2117 में दिनांक 5 जुलाई 2024 को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से अनुशंषा पत्र मिला है, जिसमें यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि नगरपालिका शाहपुरा में नेशनल हाईवे के समीप सीधी अप्रोच पर कोई बडी या उपयुक्त या सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नही है।

कलक्टर ने आमजन के सुने परिवाद

कोटपूतली। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने गुरुवार को कोटपुतली के ग्राम देवता के पंचायत कार्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान कहा कि संपर्क पोर्टल एवं जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर परिवादी को राहत पहुंचाएं एवं मानसून के मौसम में जलभराव, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, परिवहन एवं अन्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग अपनी मशीनरी को सक्रिय रखें, सूचना मिलने पर आमजन को तुरंत राहत पहुंचाएं। रास्तों के विवाद संबंधी व अतिक्रमण के परिवाद प्राप्त होने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को समस्त ग्रामों के रास्तों संबंधी परीवादों को चिन्हित कर रिपोर्ट अपडेट करने और आवश्यक कार्यवाही करने को कहा. उन्होंने स्थानीय सरपंचों व जनप्रतिनिधियों से एनएफएस के तहत संचालित गिव अप अभियान में अपात्रों को स्वेच्छा से एनएफएसए का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। आमजन की परिवेदनाओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिए रात्रि चौपाल व जनसुनवाई के माध्यम से आमजन के बीच जाकर उनके परीवादों का समाधान किया।

पूर्व छात्र धरोहर कार्यक्रम कल

निवाई। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वावधान में पूर्व छात्र परिषद के सहयोग से 7 सितंबर को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय पूर्व छात्र सम्मेलन धरोहर की अब तक हुई तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव दिनेश शर्मा ने की। प्रधानाचार्य गोविंद नारायण शर्मा ने बैठक में बताया कि पंजीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

खोया पाया
मेरा Flat No. 26/F/908, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 9414904565

नाम परिवर्तन
मेरा पूर्व में नाम दिशिता मनीष पारीक था अब मैंने दिशिता एम पारीक (DISHITA M PAREEK) पुत्री श्री मनीष पुरोहित रख लिया है आगे से मुझे दिशिता एम पारीक के नाम से जाना जावे पता :- D-5 मीरा मार्ग बानीपार्क जयपुर

I Jasleen Vasnani W/o Pankaj Vasnani residing at 54, Krishana Nagar, Sirsi Road, Opp. Ashiana Residency, Jaipur, Rajasthan-302021. Do hereby solemnly affirm that I have changed my name from Urvashi T Purswany to Jasleen Vasnani. In future I will be known by my changed name.

'दौसा में 9 वर्षों से निरंतर मरीजों की सेवा कर रहे है डॉ. मनीष पहाड़िया'

दौसा । नवी वर्षगॉठ के महत्वपूर्ण अवसर पर विशाल नि:शुल्क दंत स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन बाबूलाल जी पहाड़िया डेंटल हॉस्पिटल परिसर में किया गया। विशाल निशुल्क शिविर की जानकारी देते हुए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनीष पहाड़िया ने बताया कि प्रारंभिक 9 सबसे जरूरतमंद मरीजों का निशुल्क उपचार किया गया है। (निशुल्क इलाज में दांतों की नस का इलाज और दांत निकलना रहा) और अन्य तरह के इलाज जैसे दांत के रंग का मसाला, दातों की सफाई, बिना दर्द अकल दाढ़ का ऑपरेशन, टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज, फिक्स दांत, बत्तीसी, फिक्स बत्तीसी, इंप्लांट इन प्लांट सपोर्टेड फिक्स बत्तीसी पर 50 प्रतिशत का विशेष लाभ प्रदान किया गया।

सभी मरीजों ने अपना निशुल्क बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन जांच कराया। अन्य सभी तरह की खून की जांच पर 50 तक की छूट दी गई।

नि:शुल्क दंत स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया।

चिकित्सा शिविर में डॉक्टर मनीष पहाड़िया, डॉक्टर रूपल सेन, डॉ नीतू गुर्जर, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, डॉ हर्षित व्यास, डॉ सोनम ने परामर्श एवं उपचार दिया चिकित्सा शिविर में हंसराज गुर्जर, मदन बेरवा, मनोज शर्मा, अभिषेक पांचाल, महेश सैनी, सीमा राजोरिया, मंजू सांवरिया, दीपक शर्मा ने सहयोग किया। पूर्व आरपीएससी सदस्य पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि कहा कि बाबूलाल जी पहाड़िया डेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष पहाड़िया लगातार नौ वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहे हैं जो मरीज असहाय होता है उसे न्यूनतम दर पर या निशुल्क भी उपचार करते हैं लेकिन उन्होंने दोसा की जनता की सेवा ही अपना मार्ग चुना।

जिला प्रभारी सचिव ने ली समीक्षा बैठक

कोटपूतली। आयुक्त विभागीय जांच, राजस्थान एवं जिला प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन एवं राहत-बचाव कार्यो की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिवृष्टि के मद्देनजर प्रशासन को हर स्तर पर सतर्क और तत्पर रहना आवश्यक है ताकि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी भी बैठक में मौजूद रहीं। प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों के लिए अस्थायी आश्रय-स्थल उपलब्ध कराने की पूर्व तैयारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयाँ और कपड़े प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रूप से पहुँचाने की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहें तथा आमजन को सही और समयबद्ध जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जाए, जिससे किसी प्रकार की अफवाह न फैले। आपदा सुरक्षा दलों एवं स्वयंसेवकों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के साथ-साथ चिकित्सा दल, पशु चिकित्सक दल और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों एवं प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन, भोजन की गुणवत्ता और बीमारियों की रोकथाम संबंधी जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों का समन्वय और संवेदनशीलता से निस्तारण करें। साथ ही कृषि विभाग को वर्षा के मद्देनजर फसल खराबे से प्रभावित किसानों को विभिन्न योजनाओं से पात्रतानुसार संबल एवं सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी सचिव ने गिरदावरी, फसल नुकसान के सर्वे, बीमा दावों और मुआवजा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ईद मिलाद उन नबी का जश्न मनाया

पावटा। नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा क्षेत्र में पैगंबर-ए-हजरत मुहम्मद साहब का जन्मोत्सव जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी बड़े धूमधाम से मनाया गया। ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व मोहम्मद साहब की एकता, शांति और अमन का पैगाम देता है। इस मौके पर हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। शुक्रवार को कस्बे के मुख्य बाजार शाही जामा मस्जिद से ईद मिलादुन्नबी नबी के मुबारक मौके पर हजरत मोहम्मद साहब की विलादत पैदाइश पर मोहम्मद हजरत साहब के जन्मदिन पर शाही जामा मस्जिद से सुभाष चौक व कुरेशियान मौहल्ले होते हुए लुहारों का मौहल्ले से इंडोर स्टेडियम स्थित बाबा कबिरूद्दीन शाह की दरगाह तक जुलूस निकाला गया।

जुलूस में महिलाओं समेत छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान बारिश भी होती रही लेकिन जुलूस में शामिल अकीदतमंद सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए जुलूस के साथ चलते रहे।

जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी बड़े धूमधाम से मनाया।

रास्ते में जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हिंदू समाज के लोगों ने भी जुलूस में पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इस दौरान पावटा नायब तहसीलदार संजय खेदड़, प्रागपुरा गिरदावर और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसएचओ किरण सिंह यादव मय भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात रहा। इमरान लुहार ने भी अपने संबोधन में कहा कि यह पर्व हमें एकता, शांति और अमन का संदेश देता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 74/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री राघवेन्द्र एच.एस.उर्फ राधा प्रियादास सचिव/प्रन्यासी ने पंजीकृत श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट, गौ पूनर्वास केंद्र, ग्राम हिंगोनिया पोस्ट कानोता, बस्सी जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 18 जयपुर 2017 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के प्रन्यासी श्री सुरेश गणेश उर्फ सुव्यक्त नरसिम्हा दास द्वारा प्रन्यास पद से त्याग देने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर कृष्ण पांडे को नवीन प्रन्यासी नियुक्त कर उनका नाम कार्यालय रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.8.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 1.10.25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/565
चूंकि प्रार्थी श्री RAJENDRA KUMAR SHARMA, VILLAGE MALVA TEH. CHAKSU JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास रिद्धि सिद्धि चेरिटेबल ट्रस्ट, 112/SP 6 NEAR GOVT DISPENCERY SECTOR 11 KUMBHA MARG PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के पूयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10/11/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/562
चूंकि प्रार्थी श्री निर्मला देवी, पी. जी. कोलेज के पास आगरा रोड दौसा 303303 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास देवगिरी साहित्य एवं शोध संस्थान दौसा, पी. जी कोलेज के पास आगरा रोड दौसा 303303 के सम्बन्ध में अग्रिम जाच किये जाने के लिए आवेदन-पतू दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 07/11/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/566
चूंकि प्रार्थी श्री ABUDAL RUAF, 113/54 SECTOR 11 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मन्नत ट्रस्ट, 113/54 SECTOR 11 PRATAP NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के पूयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11/11/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/605
चूंकि प्रार्थी श्री राजा राम भादू, 86, मानसागर कॉलोनी, श्योपुर रोड प्रताप नगर जयपुर 302033 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास समान्तर संस्थान, 86, मानसागर कॉलोनी, श्योपुर रोड, प्रताप नगर जयपुर 302033 के सम